तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सूरज प्रसाद ब्राहम्ण बनाम गंगाबक्स ब्राहम्ण
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/22/2024

16.01.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खाता संख्या 141 खसरा संख्या 480/0.1800, 481/0.2200, 483/0.3800, 484/0.4700, खाता संख्या 232 खसरा संख्या 477/0.3700, 478/0.3000, 479/0.3100, 482/0.2800, 485/0.0600 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण को उनके हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें। तथा अप्रार्थी असल प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के किसी भी भाग को दीगर किसी को जरिये रहन बय हिबा दान आदि के मुन्तकिल नही करें और कोई भी मुन्तकिली का दस्तावेज अन्य किसी के पक्ष में तहरीर व पंजीकृत नही करावें तथा उक्त आराजी का नामांतकरण दर्ज वो फैसल नही करावें। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता व माता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के माता व पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है। एवं विवादित आराजी पैतृक नही है जिसे प्रार्थी के पिता गंगाबक्स पुत्र भूरजी व माता श्रीमती जडाव पत्नी गंगाबक्स ने जरिये बयनामा दिनांक 03.06.1991 एवं पंजीयन दिनांक 04.06.1991 के खरीद की हुई आराजी है। जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करें। इस संवध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 01/03/2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

01/03/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 6/3/24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

SSa
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
6/3/24 पत्रावली पेश। वकील वादी पेश। वास्ते तलबी अनावेदकगण दिनांक 5/6/24 को पेश हो। [signature] SDO	
5/6/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 31/7/24 को पेश हो। [signature] रीडर	
31/7/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23/9/24 को पेश हो। [signature]	
23/9/24 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० वास्ते तलबी अनावेदकगण दिनांक 11/12/24 को पेश हो। [signature] SDO	
11-12-24 [illegible] अवकाश पर कार्य स्थगित किया है। दिनांक 24-01-25 को पेश हो [signature] S.D.O.	
24/1/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप० [illegible] द्वारा 09RS के तहत खारिज किया जा [illegible] [illegible] कार्यवाही [illegible] 09RS के तहत खारिज की जाती है। बाद पूर्ति नस्ती [illegible] दाखिल रिकॉर्ड भेजी जावे। [signature] SDO	